न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 14 / 2025
दायर दिनांक : 25 / 03 / 2025
निर्णय दिनांक : 18 / 12 / 2025

उनवान

1. इश्तियाक पिता जगरूदीन रंगरेज निवासी आकोला तहसील भूपालसागर **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रामेश पिता भगवान भील निवासी कानडखेडा तहसील भूपालसागर
2. कंकु पत्नि मांगीलाल भील निवासी आकोला
3. मदनलाल पिता मांगीलाल भील निवासी आकोला **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरुद्ध कार्यवाही नही चाहने का निवेदन किया गया। शेष अप्रार्थीगण सं. 2, 3, बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कानडखेडा तहसील भूपालसागर की आ.सं. 1435 / 39 रकबा 0.01 है. औघोगिक क्षेत्र आ0न0 39 रकबा 0.3800 है0 बारानी 2 कुल खसरे 2 कुल क्षेत्रफल 0.4800 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व मे सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ)

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.26 13:48:44 IST
Reason: SelfAttested